पत्रांक–भवन/विधि–विविध–26/2026..... 9693 (भ)/

**बिहार सरकार**

**भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

**मृदुला कुमारी,**
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

**सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित),**
**सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),**
**सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),**
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

पटना दिनांक– 12/10/2026

**विषयः–** माननीय न्यायालयों/ट्रिब्यूनल में लंबित वादों को जाँच कर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

**प्रसंगः–** विभागीय पत्रांक–9421(भ) दिनांक–05.10.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय न्यायालयों में सरकार का पक्ष (प्रतिशपथ पत्र, कारणपृच्छा या यथोचित कार्रवाई) रखने हेतु संबंधित विद्वान सरकारी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित करने में हो रहे कठिनाई हेतु विधि विभाग द्वारा ए0ए0जी0, जी0ए0, जी0पी0 एवं एस0सी0 में नवनियुक्त सभी विद्वान सरकारी अधिवक्ता का मोबाईल नंबर की सूची प्रासंगिक पत्र द्वारा संलग्न कर उपलब्ध करा दी गयी है।

अतएव अविलंब आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नवत् निदेश दिये जाते हैः–

1. कार्यपालक अभियंता समय–समय पर विभिन्न प्रकार के वादों की जाँच कर ले, की विभाग के ओर से उन वादों में पक्ष रखा जा चुका है अथवा नहीं। यदि कोई मामला संज्ञान में आता है, जिसमें विभाग की ओर माननीय न्यायालय में विभाग का पक्ष नहीं रखा गया है तो अविलम्ब सरकारी पैनल अधिवक्ता से सम्पर्क कर विभाग का पक्ष माननीय न्यायालय में रखना सुनिश्चित करें।
2. अपने कार्यालय को जाँच कर सुनिश्चित करें कि विवाचनवाद/आरबिट्रेशन केस के आदेश के आलोक में कोई अवार्ड पर आपके स्तर से कार्रवाई लम्बित नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आये तो उसपर अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
3. अपने कार्यालय से लंबित सभी न्यायवादों के संदर्भ में माननीय न्यायालय की अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधित सरकारी/पैनल अधिवक्ता से समय–समय पर प्राप्त कर आवश्यकतानुसार अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करें।
4. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना से संबंधित वादों (CWJC/MJC/LPA/Request Case/Civil Review and etc) की अद्यतन स्थिति **https://patnahighcourt.gov.in** समय–समय पर अनुसरण करते रहें।

उपर्युक्त निदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा किसी भी प्रकार के अप्रिय स्थिति के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार होगा।

विश्वासभाजन

(मृदुला कुमारी)
सरकार के उप सचिव।